GOVERNMENT OF RAJASTHAN

LOCAL SELF GOVERNMENT, RAJASTHAN, JAIPUR

NO: F-8(G)(327)Rules/LSG/95/ 6275 DATED: 29-8-07

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 297 read with section 104 of the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Rajasthan Act No. 38 of 1959), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement :-** (1) These rules may be called the Rajasthan Municipalities (Urban Development Tax) Rules, 2007.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Definitions :-** (1) in these rules, unless the subject or context otherwise require;

(a) "Act" means the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Rajasthan Act 38 of 1959);

(b) "Agent" means a person authorized in writing by an owner or occupier of any building or land or both to act on his behalf;

(c) "Assessor" means an assessor appointed under section 114;

(d) "Form" means a form appended to these rules;

(e) "Revising Authority" means any authority or Officer referred to in sub-section (2) of section 117 to whom objections under sub-section (1) of that section may be made;

(f) "Section" means a section of the Act;

(g) " Urban Development Tax" or "Tax" means the tax imposed on building or land or both under section 104 of the Act: and

(h) " Year" means the financial year commencing from the first day of April, to which tax relates.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Levy of Tax:** - The Tax shall be leviable in a Municipal area at the rate and from the date specified in the notification issued by the State Government from time to time under section 104 of the Act.

4- **Preparation of assessment list :-** (1) An assessment list for the purpose of levying the tax shall be prepared ward wise/ circle wise/area wise in Form-I.

(2) For the purpose of assessing the amount of the tax payable in respect of any building or land or both, assessor may:-

(a) enter upon or into, to inspect and measure any building or land or both, and;

(b) If necessary, make enquiries from the people living in neighbour-hood and examine the previous record of the Municipality or other local authority in relation to such building or land or both.

(3) When the name of the person primarily liable for the payment of tax cannot be ascertained, it shall be sufficient to designate him in assessment list and in any

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज0 जयपुर

notice which it may be necessary to serve upon him as the holder of the building or land or both, without any further description.

(4) Where any building or land or both liable as a whole to payment of the tax is composed of separate tenements, the assessor may, upon the request of the owner of any such tenement, determine the tax for each such tenement, separately and assess the amount of tax payable in respect thereof.

5- **Notice by the Commissioner/Executive Officer, submission of self-assessment returns and deposit of tax :-** (1) The Commissioner/Executive Officer of the municipality shall issue a public notice in Form - II, calling upon the owners/ occupiers of building or land or both, to submit self-assessment returns in Form-III . Such notice shall be affixed on the notice board of the office of the municipality.

(2) The person liable to pay tax under clause (1) of sub-section (1) of section 104 of the Act shall assess the tax payable by him and deposit the tax in bank account of the municipality or in the office of the municipality. After depositing the tax, self-assessment return in Form-III duly and correctly filed in, along with a copy of challan or receipt of tax deposited, shall be submitted by him in the office of municipality.

(3) If the owner/occupier does not submit correct self-assessment return or fails to submit the self-assessment return as required under sub-rule (1), the Commissioner/Executive officer/Assessor or the Officer authorized by the State Government shall,

(a) enter upon or into, inspect and measure any building or land or both;

(b) If necessary, make enquiries from the people living in neighbour-hood and examine the previous record of the municipality or other local authority in relation to such building or land or both; and

(c) Assess the tax and recover the same from the defaulter, as the case may be.

(4) five percent cases of self assessment returns of tax shall be scrutinized/ examined by the Commissioner/Executive Officer/Assessor or the Officer authorized by the State Government.

6- **Payment of tax, rebate and penalty: -** The tax shall be payable in advance and to be paid in the first half of the year for which tax relates. A penalty of 1% per month shall be paid on the amount due for the remaining period of the year. After the expiry of the financial year an additional penalty at the rate of 10 % per annum for whole year or part there of shall be levied for the amount due.

7- **Statement of new building etc:-** Every Assessor or any Other officer so authorized by the Commissioner/ Executive officer, shall submit to the Commissioner/Executive officer/ Assessor, half yearly statement showing buildings or land within the area which have been newly constructed or reconstructed or enlarged or converted or developed, to enable the Commissioner/Executive officer/Assessor to assess or reassess the tax on such building or land or both.

8- **Publication and Revision of assessment :-** (1) The public notice required to be given under section 116 and 117(1) shall be in Form- IV.

(2) The register of objection of tax to be kept by assessor under sub-section (3) of section 117 shall be in Form- V.

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज. जयपुर

(3) The public notice required to be published under sub-section (6) of section 117 shall be in Form-VI .

(4) The decision of the revising authority shall be communicated to the owner/ occupier by the Commissioner/Executive Officer/Assessor or the Officer authorized by the State Government.

9- Repeal and Savings: - The Rajasthan Municipalities (House Tax) Rules, 2003 is hereby repealed;

Provided that such repeal shall not affect anything done or action taken or right, privilege, obligation or liability acquired or incurred, penalty, forfeiture or investigation made or legal proceedings pending under the rules so repealed:

Provided further that the rules so repealed shall continue in force in respect of recovery of tax due before the commencement of these rules.

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज0, जयपुर

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक : प.8(ग)(327)नियम/स्वाशा/1995/ 5944 दिनांक : 29-08-2007

:: अधिसूचना ::

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 38) की धारा 107 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह मत रखते हुए कि ऐसा करने के लिए समुचित कारण विद्यमान हैं, एतद्द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों एवम् नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित निम्न प्रकार की भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र/तल क्षेत्रों को तुरन्त प्रभाव से उक्त अधिनियम की धारा 104 की उप धारा (1) के खण्ड (1) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात :—

- 300 वर्गगज तक के समस्त स्वतन्त्र आवास एवम् उस पर बने फ्लेट;
- 300 वर्गगज तक के संस्थानिक व औद्योगिक परिसर;
- 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्र की भूमि पर बने 1500 वर्गफीट (Built Up Area) तक के आवासीय फ्लेट;
- राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 107 में छूट प्राप्त सम्पत्तियाँ;
- केवल धार्मिक (पूजा, अर्चना एवम् प्रार्थना आदि के) उपयोग की समस्त सार्वजनिक सम्पत्तियाँ (वाणिज्यिक उपयोग सहित) ।
- **चेरिटेबल ट्रस्ट की समस्त सम्पत्तियों (वाणिज्यिक उपयोग सहित)।**
- **राज्य सरकार के विशेष आदेश द्वारा कर मुक्त की गई शैक्षणिक संस्थायें।**

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज0, जयपुर

➢ 100 वर्गगज तक व्यावसायिक भूखण्ड जिनमें 900 वर्गफीट तक (Built Up Area) निर्माण हो; परन्तु 900 वर्गफीट से अधिक निर्मित क्षेत्र होने पर समस्त क्षेत्र पर कर देय होगा।

आज्ञा से

(ओ0 पी0 हर्ष)

उप शासन सचिव

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज0, जयपुर

क्रमांक : प.8(ग)(327)नियम/स्वाशा/1995/6345-6374 दिनांक : 29/08/2007

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

01. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजस्थान राजपत्र के भाग 6 (क) के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महो0 राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन, राज0 जयपुर।
05. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
06. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
07. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान।
08. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
09. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/ पालिकायें, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/ पालिकायें, राजस्थान।
11. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
12. सुरक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज0, जयपुर

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक : प.8(ग)(327)नियम/स्वाशा/1995/5513 दिनांक 29-8-07

:: अधिसूचना ::

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 38) की धारा 104 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान राज्य की समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं द्वारा अपने क्षेत्रों में स्थित भूमि (कृषि भूमि के अतिरिक्त) या निर्मित क्षेत्र/तल क्षेत्रों पर तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार कर उद्गृहीत किया जावेगा : अर्थात्:—

कर का निर्धारण सम्पत्ति के वर्गीकरण के अनुसार निम्न सूत्रों के आधार पर किया जावेगा :—

➢ आवासीय इकाई पर कर निर्धारण:—

$$\frac{\text{भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की आवासीय डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

➢ बहुमंजिला भवनों में फ्लेट हेतु कर की गणना तलक्षेत्र (Built up Area)के आधार पर निम्नानुसार की जावेगी :—

$$\frac{\text{तलक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की आवासीय डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज0, जयपुर

➢ संस्थानिक/औद्योगिक इकाई पर कर की गणनाः—

$$\frac{\text{भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (जो भी अधिक हो) का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की संस्थानिक/औद्योगिक डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

➢ व्यावसायिक इकाई पर कर निर्धारण :—

$$\frac{\text{भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (जो भी अधिक हो) का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की व्यावसायिक डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

- ➢ यह कर भूमि/निर्मित क्षेत्र के आधार पर तथा वार्षिक आधार पर इकाई आधार पर देय होगा।
- ➢ कर का निर्धारण सम्बन्धित क्षेत्र की डीएलसी दरों के आधार पर किया जावेगा।
- ➢ जिस क्षेत्र की औद्योगिक डीएलसी दरें तय नही है, उन क्षेत्रों के लिए निकटतम क्षेत्र की औद्योगिक दरें प्रभावी रहेंगी।
- ➢ करदाता द्वारा स्वयं कर का निर्धारण किया जा सकेगा।
- ➢ कर का निर्धारण सम्पत्ति के वास्तविक उपयोग के आधार पर किया जावेगा।
- ➢ कर का दायित्व स्वामित्व एवम् अधिवास के आधार पर होगा।
- ➢ स्वतन्त्र आवास में कर का निर्धारण भूमि के क्षेत्र के आधार पर किया जावेगा।
- ➢ फ्लेट पर कर का निर्धारण निर्मित क्षेत्र (Built up Area वर्गगजों में) के आधार पर किया जावेगा।

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज0, जयपुर

- विभाजित सम्पत्तियों का कर निर्धारण उनके स्वामित्व के हिस्से को फ्लेट मानकर किया जावेगा।
- वाणिज्यिक/औद्योगिक/संस्थानिक परिसरों में भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (गजों में) जो भी अधिक हो, के आधार पर कर की गणना की जावेगी।
- ऐसे वाणिज्यिक/औद्योगिक परिसर जहॉ एक से अधिक स्वामित्व की सम्पत्तियॉ हो, उनके निर्मित क्षेत्र (Built up Area वर्गगजों में) के आधार पर कर की गणना की जावेगी।
- 100 वर्गगज से अधिक के व्यावसायिक भूखण्डों पर भिन्न–भिन्न स्वामित्व के निर्मित क्षेत्र (Built up Area) के आधार पर पृथक–पृथक कर निर्धारण किया जावेगा।
- 300 वर्गगज क्षेत्र से अधिक की औद्योगिक उपयोग की सम्पत्तियों पर भिन्न–भिन्न स्वामित्व के निर्मित क्षेत्र (Built up Area) के आधार पर पृथक–पृथक कर निर्धारण किया जावेगा।
- बजट होटल, 1, 2 व 3 स्टार होटलों तथा गेस्ट हाउसों पर औद्योगिक दरें प्रभावी होंगी।
- केन्द्र सरकार की व्यावसायिक उपयोग में आ रही सम्पत्तियों पर भी कर लागू होगा।
- यह कर समस्त निजी स्वामित्व की सम्पत्तियों, सार्वजनिक उपक्रमों, मण्डलों, निगमों इत्यादि पर लागू होगा।

आज्ञा से

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज0, जयपुर

(ओ0 पी0 दुबे)
उप शासन सचिव

क्रमांक : प.8(ग)(327)नियम/स्वाशा/1995/5514–5943 दिनांक 29-8-07

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजस्थान राजपत्र के भाग 6 (क) के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।

02. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महो0 राज0 जयपुर।

03. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।

04. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन, राज0 जयपुर।

05. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।

06. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।

07. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान।

08. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।

09. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/ पालिकायें, राजस्थान।

10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/ पालिकायें, राजस्थान।

11. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।

12. सुरक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज0 जयपुर

सहायक विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग,राज0 जयपुर

क्रमांक:प.8 (ग)(327) नियम/एलएसजी/95 1794   दिनांक:- 19-11-07

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान नगर पालिका (नगरीय विकास कर) नियम, 2007 दिनांक 29.08.07 से प्रभावी किया गया है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम. सं. 38 वर्ष 1959) की धारा 107 (5) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय विकास कर वित्तीय वर्ष 2007—08 दिनांक 31 मार्च 2008 तक जमा कराए जाने पर पैनल्टी में छूट प्रदान की जाती है अर्थात 31 मार्च 2008 तक जमा करवाये जाने वाले उक्त कर पर कोई पैनल्टी देय नहीं होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से
(ओ0पी0 हर्ष)
शासन उप सचिव

क्रमांक:प.8 (ग)(327) नियम/एलएसजी/95/1795-2224   दिनांक:- 19-11-07
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के भाग 6 (क) के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महो0, राज0 जयपुर।
3. निजि सचिव, माननीय राज्य मंत्री महो0, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन, राज0 जयपुर।
5. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. समस्त उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
9. समस्त महापौर/अध्यक्ष/सभापति, नगर निगम/परिषद./पालिका, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी /आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/ परिषद/पालिका, राजस्थान।
11. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय ।
12. सुरक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : प. 8 (च)(   )नियम/स्वा.शा./2007/   दिनांक :

परिपत्र

इस विभाग की अधिसूचना सं. प. 8 (ग)(327)नियम/स्वा.शा./1995/5944 जयपुर, दिनांक 29.08.07 एवं अधिसूचना संख्या : प.8 (ग)(327)नियम/स्वा.शा./1995/5513 दिनांक 29.08.07 के सम्बन्ध में निम्न प्रकार स्पष्टीकरण किया जाता है :—

01. 300 वर्गगज तक के आवासीय/औद्योगिक/सांस्थानिक भूखण्ड जिन पर आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक निर्माण के अतिरिक्त 900 वर्गफुट से कम का व्यावसायिक निर्माण है, कर मुक्त रहेंगे। उक्त श्रेणी के भूखण्डों में 900 वर्गफुट से अधिक का व्यावसायिक निर्माण होने की स्थिति में समस्त व्यावसायिक उपयोग पर कर देय होगा।

02. 300 वर्गगज से अधिक के आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक उपयोग के भूखण्ड जिन पर व्यावसायिक निर्माण 900 वर्गफुट से कम है, के मामलों में केवल आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक दर से ही कर देय होगा, लेकिन व्यावसायिक निर्माण 900 वर्गफुट से अधिक होने की स्थिति में भूखण्ड के लिए आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक दर से कर वसूल किये जाने के साथ–साथ समस्त व्यावसायिक उपयोग के क्षेत्र पर व्यावसायिक दर से कर देय होगा।

शासन उप सचिव

क्रमांक : प. 8 (च)(   )नियम/स्वा.शा./2007/ 8604-8326 दिनांक : 21-11-07

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

01. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।

03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।

04. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।

05. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।

06. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।

07. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।

08. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, राजस्थान।

09. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, राजस्थान।